

अनुबंध -I
(पैरा 3.2 देखें)

जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए विभिन्न प्राधिकरणों के
अनुमोदन और मंजूरी को दर्शाता विवरण।

क्रम सं.	मंजूरी का प्रकार	जारी कर्ता प्राधिकरण	इसकी आवश्यकता के कारण	प्रक्रिया
i	भूमि	राज्य सरकार	भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए	संबंधित राज्य के राजस्व विभाग को योजना की आवश्यकता के अनुसार भूमि अधिग्रहण करने का आवेदन किया जाता है।
ii	पानी	राज्य सरकार/सीडब्ल्यूसी	किसी विवाद से मुक्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए	राज्य जल संसाधन विभाग को आवेदन किया जाता है।
iii	लाभ भोगी से सुविधा पत्र	संबंधित एसईबीज़	एसईबीज़ की बिजली खरीदने की इच्छा	एसईबीज़/उतराधिकारी इकाईयों को बिजली खरीदने के लिए अपनी सहमति देने के लिए पत्र भेजे जाते हैं।
iv	वन विभाग से मंजूरी (यदि लागू हो)	एमओईएफ/राज्य सरकार	कानून के अनुसार अपेक्षित	राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) को अनुदेश प्राप्त करने के लिए यदि वन भूमि का योजना के लिए अधिग्रहण किया जाता है इसके लिए आवेदन किया जाता है। अभी इसे दो स्तरों में जारी किया जाना है। मूल रूप से निर्धारित शर्तों का अनुपालन हो जाने पर औपचारिक अनुमोदन। जम्मू-कश्मीर से संबंधित परियोजनाओं के मामले में वन अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा उनके वन (संरक्षण) अधिनियम 1997 के अन्तर्गत दिए जाते हैं।
v	रक्षा से मंजूरी (अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, एलओसी, वर्जित क्षेत्र आदि के समीप स्थित योजनाओं के लिए)	रक्षा प्राधिकरण	यह कानून के अनुसार अपेक्षित है।	स्थान निर्धारण और अन्य विवरण देने वाला आवेदन एमओपी को भेजा जाता है जो विषय को रक्षा मंत्रालय तक ले जाएगा ताकि रक्षा से मंजूरी प्राप्त की जा सके।
vi	अन्तर्राज्यीय और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से मंजूरी (यदि लागू हो)	एमओडब्ल्यूआर/सीडब्ल्यूसी	यह कानून के अनुसार अपेक्षित है।	एमओडब्ल्यूआर से मंजूरी प्राप्त करने के लिए एमओपी से निवेदन किया जाता है।

क्रम सं.	मंजूरी का प्रकार	जारी कर्ता प्राधिकरण	इसकी आवश्यकता के कारण	प्रक्रिया
vii	भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण से मंजूरी (एएसआई) (यदि लागू हो)	एएसआई	यह एमओईएफ के मापदण्ड के अनुसार अपेक्षित है।	भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण को योजना की स्थिति और अन्य विवरण दर्शाने वाला आवेदन भेजा जाता है ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सके।
viii	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना	अध्यक्ष/ निदेशक- मंडल	सीईए के मार्गदर्शन के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन के लिए डीपीआर तैयार किया जाता है।	डीपीआर परियोजना द्वारा संबंधित निगम कार्यालय खण्डों के सहयोग से तैयार की जाती है।
ix	योजना की सहमति (पहले इसे तकनीकी आर्थिक अनुमोदन कहा जाता था)	केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण	बिजली अधिनियम 1948 समय-समय पर संशोधित	योजना की सहमति के लिए सीईए को डीपीआर भेजा जाता है। (पहले इसे तकनीकी आर्थिक अनुमोदन कहा जाता था।)
x	संदर्भ की शर्तों (टीओआर) का निर्माण पूर्व गतिविधियों की एमओईएफ की मंजूरी के साथ अनुमोदन	एमओईएफ	टीओआर और एमओईएफ की निर्माण पूर्व गतिविधियों का अनुमोदन ईआईए की अधिसूचना 2006 के अन्तर्गत अपेक्षित है।	फार्म 1 में आवेदन को पीएफआर की प्रति और टीओआर के ड्राफ्ट के साथ भरा जाना ताकि ईआईए और ईएमपी अध्ययन एमओईएफ द्वारा किया जा सके।
xi	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा जन सुनवाई	एसपीसीबी	ईआईए की अधिसूचना 2006 के अन्तर्गत जन सुनवाई आवश्यक है।	ईआईए और ईएमपी की ड्राफ्ट रिपोर्टें और इसके कार्यकारी सारांश का अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में आवेदन देना होता है। जन सुनवाई के लिए एसपीसीबी को दो स्थानीय समाचार पत्रों में नोटिस जारी करना होता है।
xii	पर्यावरण मंजूरी	एमओईएफ	अधिनियम के अन्तर्गत पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है।	जनवार्ता प्रक्रिया के दौरान प्राप्त कि गई मूल्यनिर्धारण टिप्पणियों की ईआईए और ईएमपी की अन्तिम रिपोर्ट एमओईएफ को प्रस्तुत करनी है। प्रस्ताव को विशेषज्ञ मूल्यनिर्धारण समिति को भेजा जाता है।
xiii	निवेश अनुमोदन	सीसीईए	जल परियोजनाएं सीसीईए, जीओआई द्वारा अनुमोदित की जाती हैं	निवेश प्रस्ताव एमओपी द्वारा पीआईबी को प्रस्तुत किया जाता है ताकि इसकी सिफारिशें और बाद में सीसीईए की मंजूरी प्राप्त की जा सके।

अनुबंध -II
(पैरा 3.3.1 देखें)

सीपीएसईज़ द्वारा वर्ष 2007-12 के दौरान जल परियोजना की क्षमता बढ़ोतरी को दर्शाते आकड़े (वास्तविक और संशोधित)

क्रम सं.	कम्पनी/परियोजना का नाम	क्षमता (एमडब्ल्यू)		टिप्पणी
		वास्तविक	संशोधित	
(क)	एनएचपीसी लिमिटेड			
1.	लोकटक डाऊनस्ट्रीम, मणिपुर	90	0	जेवी मुद्दों के राज्य सरकार के साथ प्रस्ताव के विलम्ब के कारण 12वीं योजना में बढ़ाया गया
2.	निम्न सुबान्सिरी, लोअर अरुणाचल प्रदेश	2,000	2,000	
3.	पार्वती-II, हिमाचल प्रदेश	800	800	
4.	पार्वती-III हिमाचल प्रदेश	520	520	
5.	चमेरा-III, हिमाचल प्रदेश	231	231	
6.	मध्य सियांग, अरुणाचल प्रदेश	700	0	निजी पार्टियों को स्थानांतरित
7.	निम्न सियांग, अरुणाचल प्रदेश	1,700	0	
8.	मध्य सुबान्सिरी, अरुणाचल प्रदेश	2,000	0	
9.	पकल दूल, जम्मू और कश्मीर	1,000	0	जेवी मुद्दे सैटल नहीं हुए
10.	बरसर, जम्मू और कश्मीर	1,020	0	बांध एक्सिस और कानून एवं व्यवस्था की कठिनाइयों की अनिश्चितता के कारण आगे बढ़ाई गई
11.	उरी-II, जम्मू और कश्मीर	280	240	
12.	तिस्ता v, सिक्किम	0	510	10वीं योजना से आगे बढ़ाया गया
13.	सेवा II, जम्मू और कश्मीर	0	120	
14.	तिस्ता का निचला बांध III, पश्चिम बंगाल	0	132	
15.	तिस्ता का निचला बांध, IV पश्चिम बंगाल	0	160	
16.	ओकारेश्वर मध्य प्रदेश	0	520	
17.	निम्नों-बाज्गो, जम्मू और कश्मीर		45	नई परियोजनाएं
18.	चूटक, जम्मू और कश्मीर	0	44	
	कुल (क)	10,341	5,322	

क्रम सं.	कम्पनी/परियोजना का नाम	क्षमता (एमडब्ल्यू)		टिप्पणी
		वास्तविक	संशोधित	
(ख)	एसजेवीएन लिमिटेड			
1.	रामपुर, हिमाचल प्रदेश	412	412	
	कुल (ख)	412	412	
(ग)	टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड			
1.	कोटेश्वर, उत्तराखण्ड	400	400	
	कुल (ग)	400	400	
(घ)	नोर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड			
1.	ट्यूरियल मिजोरम	60	60	
2.	कामेंग, अरुणाचल प्रदेश	600	600	
	कुल (घ)	660	660	
	कुल (क से घ)	11,813	6794	

सुबंसिरी लोअर परियोजना के संबंध में पीक्यू मानदण्ड में छूट दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	28.09.01 को अनुमोदित मूल पीक्यू मानदण्ड	17.2.03 को संशोधित पीक्यू मानदण्ड	17.3.03 के छूट पत्र के अनुसार पीक्यू मानदण्ड
अ.	लाट-एसएसएल1 तथा लाट-एसएसएल2		
i	पूर्ववर्ती 5 वर्षों से अधिक संयुक्त उपक्रम भागीदारों द्वारा औसत वार्षिक कुल कारोबार 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर या समतुल्य	140 मिलियन अमेरिकी डॉलर	110 मिलियन अमेरिकी डॉलर
ब.	लाट-एसएसएल1 के लिए विशिष्ट मानदण्ड		
i.	एक परियोजना में 2 किमी लम्बी तथा 8 मीटर से अधिक व्यास के टनल का पूर्ण होना	एक परियोजना में 2 किमी की शर्त को हटा दिया गया	और कोई परिवर्तन नहीं
ii.	एक परियोजना में एक बार से अधिक चल रही/पूरी की गई परियोजना में एक टनलिंग चरण में प्रति मास 4500 क्यू.मी. का शीर्ष खदान आयतन	ऐसे कोई मानदण्ड नहीं	और कोई परिवर्तन नहीं
iii.	टनल में खुदाई एक बार से अधिक 15,000 क्यू.मी. प्रति माह से अधिक	चल रही/पूरी हो चुकी एक परियोजना में टनलिंग में औसत शीर्ष खुदाई 15000 क्यू.मी. प्रति माह या अधिक	और चल रही/पूरी हो चुकी परियोजना में टनलिंग में औसत शीर्ष खुदाई घटाकर 10000 क्यू.मी. प्रति माह या अधिक कर दी गई
iv.	एक चल रही/पूरी हो चुकी परियोजना में एक बार से अधिक कंक्रीट लाइनिंग आयतन का 2000 क्यू.मी. प्रति माह प्रति चरण	ऐसे कोई मानदण्ड नहीं	और कोई परिवर्तन नहीं
v.	नीचे कुछ पतली भराई के साथ कम से कम 25 मी. ऊंचाई तक मिट्टी भराव/पत्थर भराव/कोफरबांध/बांध की समाप्ति	बाँध के बुनियादी कार्य के लिए 40 मी. से अधिक गहराई की दीवार के अंतिम भाग (चट्टान में) का निर्माण	और कोई परिवर्तन नहीं
vi.	चल रही/समाप्त परियोजना/कोफर बाँधों में एक से अधिक बार 40,000 क्यू.मी. प्रतिमाह की दर से नियोजन	यह पीक्यू हटा दिया गया	और कोई परिवर्तन नहीं

vii.	कम से कम 100 मी. ऊंचाई के कंक्रीट गुरुत्व बाँध का निर्माण	90 मी. या अधिक ऊंचाई के कंक्रीट गुरुत्व बाँध का निर्माण	और कोई परिवर्तन नहीं
viii.	एक परियोजना में एक बार से अधिक एक निर्माणाधीन/समाप्त बाँध में 70,000 क्यू.मी. प्रति माह की प्रगति दर से बुनियाद/अनुसीमा में खुदाई की मात्रा लगभग 15,00,000 क्यू.मी.	एक निर्माणाधीन/समाप्त बाँध में बुनियाद/अनुसीमा की औसत खुदाई 70,000 क्यू.मी. प्रति माह या अधिक लेकिन 15,00,000 क्यू.मी. की आवश्यकता में छूट दी गई	एक निर्माणाधीन/समाप्त बाँध में 12,50,000 क्यू.मी. या अधिक को शामिल करते हुए तथा एक निर्माणाधीन/समाप्त बाँध में औसत कंक्रीट स्थापन 40,000 क्यू.मी. प्रति माह अथवा अधिक
ix.	एक परियोजना में एक बार से अधिक एक निर्माणाधीन/समाप्त बाँध में 50,000 क्यू.मी. की स्थापन दर के साथ कंक्रीटिंग लगभग 12,50,000 क्यू.मी.	एक निर्माणाधीन/समाप्त बाँध में 18,00,000 क्यू.मी. या अधिक कंक्रीटिंग औसत स्थापन दर संशोधित करके एक महीने में 60,000 क्यू.मी. कर दी गई।	
स.	लाट-एसएसएल2 के लिए विशिष्ट मानदण्ड		
i.	एक परियोजना में 8 मी. व्यास तथा 2 किमी औसतन लम्बी टनलों की समाप्ति	एक परियोजना में 2 किमी की आवश्यकता को हटा दिया गया	और कोई परिवर्तन नहीं
ii.	एक परियोजना में एक बार से अधिक एक निर्माणाधीन/समाप्त परियोजना में एक टनलिंग फलक से शीर्ष खुदाई आयतन 4500 क्यू.मी. प्रति माह और टनल में एक बार से अधिक खुदाई 15,000 क्यू.मी. प्रति माह से अधिक और	मानदण्ड को हटा दिया गया	और कोई परिवर्तन नहीं
iii.	न्यूनतम 20 मी. चौड़े भूमिगत ऊर्जा गृह/ट्रांसफार्मर हॉल की समाप्ति	एक निर्माणाधीन/समाप्त परियोजना में टनलिंग में औसत शीर्ष खुदाई 15,000 क्यू.मी. प्रति माह या अधिक	एक निर्माणाधीन/समाप्त परियोजना में टनलिंग में औसत शीर्ष खुदाई 10,000 क्यू.मी. प्रति माह या अधिक
iv.	किसी भी निर्माणाधीन/समाप्त परियोजना में एक बार से अधिक 10,000 क्यू.मी. प्रति माह की खुदाई प्रगति दर प्रति माह प्राप्त की गई	और कोई परिवर्तन नहीं	और कोई परिवर्तन नहीं
v.	एक निर्माणाधीन/समाप्त परियोजना में कंक्रीटिंग प्रगति 2,800 क्यू.मी. प्रति माह एक से अधिक बार प्राप्त किया गया और	एक निर्माणाधीन/समाप्त परियोजना में गुफा में औसत खुदाई प्रगति 10,000 क्यू.मी. प्रति माह या अधिक	एक निर्माणाधीन/समाप्त परियोजना में गुफा में औसत खुदाई प्रगति 5000 क्यू.मी. प्रति माह या अधिक
vi.		यह मानदण्ड हटा दिया गया	और कोई परिवर्तन नहीं

vii.	लगभग 7 मी. के समाप्त व्यास और 55 मी. से अधिक उंचाई के एक दाब शाफ्ट/सीधे शाफ्ट की समाप्ति	50 मी. या अधिक खुदाई को शामिल करते हुए एक निर्माणाधीन/समाप्त परियोजना में चट्टान में 20,00,000 क्यू.मी. या अधिक यंत्रकृत खुली खुदाई	एक निर्माणाधीन/समाप्त परियोजना में चट्टान में 20,00,000 क्यू.मी. या अधिक की यंत्रकृत खुली खुदाई
viii.	ऐसी किसी पी.क्यू. की आवश्यकता नहीं	एक निर्माणाधीन/समाप्त परियोजना में चट्टान में यंत्रकृत खुली खुदाई में 60,000 क्यू.मी. प्रति माह या अधिक की औसत प्रगति	एक निर्माणाधीन/समाप्त परियोजना में यंत्रकृत खुली खुदाई में चट्टान में 25,000 क्यू.मी. प्रति माह या अधिक की औसत प्रगति
ix.	तकनीकी मानदण्ड की व्यक्तिवार मद पूरी तरह से एकमात्र आवेदक/जेबी भागीदार/उप-ठेकेदार द्वारा ही प्राप्त की जाए। व्यक्तिवार जेबी भागीदार द्वारा मानदण्ड के औसत की परिकल्पना नहीं की गई थी।	व्यक्तिवार प्रस्तावित संयुक्त वेंचर/संघ भागीदारों के अधिकतम दो भागीदारों (मुख्य भागीदार सहित) के पास ऐसी गतिविधियों के लिए तदनुसूची अर्हता मापदण्ड के 30% से अधिक या समतुल्य इन उप-गतिविधियों का विशिष्ट निर्माण अनुभव हो।	व्यक्तिवार प्रस्तावित संयुक्त वेंचर/संघ भागीदारों के अधिकतम दो भागीदारों (मुख्य भागीदार सहित) के पास ऐसी गतिविधियों के लिए तदनुसूची अर्हता मापदण्ड के 20% से अधिक या समतुल्य इन उप-गतिविधियों का विशिष्ट निर्माण अनुभव हो।

पार्वती-II परियोजना के परिप्रेक्ष्य में पी क्यू मानदण्डों में शिथिलन

क्रमांक	पीक्यू दस्तावेज के अनुसार पीक्यू मापनण्ड	शिथिलित पीक्यू मापदण्ड
1.	सिविल एवं जल-अभियांत्रिकी कार्य में न्यूनतम औसत वार्षिक कुल कारोबार 55 मिलियन अमेरीकी डॉलर या समतुल्य।	सिविल एवं जल-अभियांत्रिकी कार्य में न्यूनतम औसत वार्षिक कुल कारोबार 45 मिलियन अमेरीकी डॉलर या समतुल्य।
2.	एक परियोजना में एक बार से अधिक, निर्माणाधीन/समाप्त परियोजना में 3500 क्यू.मी. प्रति माह का कंक्रीट लाइनिंग आयतन और एक टनलिंग फलक से 4500 क्यू.मी. आयतन प्रति माह की खुदाई सहित ड्रिल और ब्लास्ट प्रविधि (डीबीएम) के साथ 5 किमी से अधिक की समाप्ति।	एक परियोजना में एक बार से अधिक, निर्माणाधीन/समाप्त परियोजना में 2500 क्यू.मी. प्रति माह का कंक्रीट लाइनिंग आयतन और एक टनलिंग फलक से 4500 क्यू.मी. आयतन प्रति माह की खुदाई सहित ड्रिल और ब्लास्ट प्रविधि (डीबीएम) के साथ 2 किमी से अधिक की समाप्ति।
3.	संयुक्त उद्यम भागीदार जिनके पास टीबीएम का अनुभव हो वही टनल का टीबीएम भाग निष्पादित करेंगे।	संयुक्त उद्यम भागीदार/अनुमोदित उप-ठेकेदार जिनके पास टीबीएम का अनुभव हो वही टनल का टीबीएम भाग निष्पादित करेंगे।

अनुबंध -V
(पैरा 5.4.1 देखें)

**एनआईटी से प्रदान किये जाने में लिए गए समय और प्रदत्त मूल्य एवं
अनुमान लागत की तुलना के ब्यौरे**

क्रम सं.	परियोजना का नाम	पैकेज का नाम	पीक्यू के लिए एनआईटी की तिथि	ठेकेदार का नाम	प्रदान करने की तिथि	एनआईटी से प्रदान किये जाने में लिया गया समय (महीनों में)
1	एनएचपीसी की चमेरा- III	डीटी एवं डीटी द्वार का निर्माण, कॉफर बान्ध, कंक्रीट बांध, अन्तर्ग्रहण ढांचा, डेस्लिटिंग व्यवस्था, एचआरटी सर्ज शाफ्ट, प्रेशर शाफ्ट, भूमिगत पावर हाउस टीआरटी एवं पाटहेड यार्ड (लाट- I)	दिसम्बर 2003 का दूसरा सप्ताह	एचसीसी	21.09.05	21
2	एनएचपीसी का उरी- II	द्वारों, कंक्रीट ग्रेविटी बाँध, एचआरटी, सर्ज शाफ्ट, प्रेशर शाफ्ट, पावर हाउस एवं टीआरटी (लाट- I) सहित डीटी का निर्माण	29.12.03	एचसीसी	21.09.05	21
3	एनएचपीसी का नीमू बैजगो	कंक्रीट बांध के सिविल कार्य, कॉफर बाँध, डीटी, सरफेस पावर हाउस, टेल पूल एवं स्विच यार्ड (लाट- I)	06.05.04 26.05.06 को पुननीलामी	गैमन (पुनः नीलामी के बाद एचसीसी)	23.09.06	28
4	एनएचपीसी का चुटक	ई एवं एम कार्य पैकेज (लाट- 3)	29.08.05	भेल	16.08.07	23
5	एनएचपीसी का पार्वती-II	डाइवर्जन बांध के सिविल एवं हाइड्रो-मैकेनिकल कार्य एवं आंशिक एचआरटी (लाट- पीबी-I)	08.11.00	पटेल-सेव जेवी	11.09.02	22
6	एनएचपीसी का पार्वती-II	एचआरटी के लिए सिविल एवं हाइड्रो-मैकेनिकल कार्य एवं संबंधित कार्य (लाट-पीबी-2)	08..11.00	हिमाचल जेवी	11.09.02	22
7	एनएचपीसी का पार्वती- II	पावर हाउस के लिए सिविल एवं हाइड्रो मैकेनिकल कार्य, प्रेशर शाफ्ट, सर्ज शाफ्ट एवं अधूरा एचआरटी (लाट-पीबी-3)	08.11.00	गैमन	13.09.02	22

क्रम सं.	परियोजना का नाम	पैकेज का नाम	पीक्यू के लिए एनआईटी की तिथि	ठेकेदार का नाम	प्रदान करने की तिथि	एनआईटी से प्रदान किये जाने में लिया गया समय (महीनों में)
8	एचएचपीसी का पार्वती-III	द्वारों एवं उत्तोलकों सहित डाईवर्जन कम स्पीलवे टनलों को निर्माण, कॉपर डैम, रॉक फिल बाँध, स्पील वे, अन्तर्ग्रहण ढाँचा एवं अधूरा एचआरटी (लाट- I)	17.12.03	पटेल-एल एवं टी जेवी	15.12.05	24
9	एनएचपीसी का पार्वती-III	ई एवं एम कार्य पैकेज (लाट-4)	18.08.04	भेल	29.12.06	28
10	एनएचपीसी का सुबनश्री लोवर	डीटी के लिए सिविल कार्य, काफर बाँध, कंक्रीट ग्रेविटी बाँध, प्लज पूल एवं कफ आफ वाल (लाट-एसएसएल-2)	16.08.01	बीजीएस-एसजीएस-एसओएमए	19.12.03	28
11	सुबनश्री लोवर	एचआरटी के अन्तर्ग्रहण ढाँचे के सिविल कार्य, हेड रेस अदित सुरंग, सर्ज चैम्बर, प्रेशर शाफ्ट, टीआरटी, अदित एवं सरफेस पावर हाउस (लाट-एसएसएल-2)	16.08.01	एल एवं टी	19.12.03	28
12	एनएचपीसी का सुबनश्री लोवर	ई-एवं एम पैकेट (लाट-4)	07.04.03	एल्सटम	11.02.05	22
13	एनएचपीसी का तीस्ता लोवर बाँध-IV	डाईवर्जन आयोजनों का निर्माण के लिए सिविल कार्य, स्पील के साथ कंक्रीट ग्रेविटी बाँध, रोलर काम्पेक्टीड कंक्रीट (आरसीसी) बाँध, अन्तर्ग्रहण ढाँचा, सरफेस पावर हाउस, टेल रेस चैनल, स्विच यार्ड एवं अन्य संबंधित सिविल कार्य (लाट-1)	04.06.04	एचसीसी	19.01.06	19
14	एनएचपीसी का तीस्ता -V	भूमिगत पावर हाउस के लिए सिविल कार्य, सर्ज शाफ्ट, अदित-5 समेत आंशिक एचआरटी (लाट-4)	28.12.99	जेएएल	09.03.01	14
15	एनएचपीसी का चुटक	डीटी के निर्माण के लिए सिविल कार्य, कॉपर बांध, वैराज, अन्तर्ग्रहण ढाँचा हेड रेस टनल, सर्ज शाफ्ट, प्रेशर शाफ्ट, भूमिगत पावर हाउस, ट्रांसफार्मर गुफा, टेल रेस टनल एवं स्विच यार्ड (लाट-1)	26.05.06	एचसीसी	23.09.06	4

क्रम सं.	परियोजना का नाम	पैकेज का नाम	पीक्यू के लिए एनआईटी की तिथि	ठेकेदार का नाम	प्रदान करने की तिथि	एनआईटी से प्रदान किये जाने में लिया गया समय (महीनों में)
16	ओंकारेश्वर (मध्य प्रदेश सरकार के साथ एनएचपीसी का जेवी)	टर्नकी अनुबंध	09.02.01	जेपीयूएससी	09.06.03	28
17	एसजेवीएनएल का रामपुर	आंशिक एचआरटी नदी डाइवर्जन कार्य, अदित, वाहन द्वार के लिए सिविल कार्यों का निर्माण, इत्यादि,	04.05.05	पीजीजेवी	01.02.07	21
18	एसजेवीएनएल का रामपुर	आंशिक एचआरटी सर्ज शाफ्ट, प्रेशर शाफ्ट, वाल्व हाउस, पावर हाउस काम्पैक्स, टीआरटी, अदित एवं एचएम कार्य के लिए सिविल कार्य का निर्माण,	04.05.05	पीजीजेवी	01.02.07	21
19	एसजेवीएनएल का रामपुर	इलैक्ट्रो-मेकेनिकल कार्य	04.05.06	भेल	16.09.08	28
20	टीएचडीसी का कोटेश्वर	बाँध स्पीलवे एवं पावर हाउस कार्य के सिविल कार्यों का निर्माण,	14.05.99	पीसीएल-जेवी	31.08.02	39
21	टीएचडीसी का कोटेश्वर	द्वारों, स्पीलवे में उत्तोलकों, पावरहाउस, अन्तर्ग्रहणों इत्यादि का डिजाईन, निर्माण, आपूर्ति, परिवहन, जाँच स्थापना एवं कमिश्निंग।	14.05.99	पीटीईएल	09.02.06	80
22	टीएचडीसी का कोटेश्वर	मुख्य उत्पादक युनिटों एवं ईओटी क्रेन का डिजाईन, निर्माता, आपूर्ति, परिवहन, जाँच, स्थापना एवं कमिश्निंग।	14.05.99	भेल	28.02.03	45

अनुबंध - VI
(जैसाकि अध्याय-VI, पैरा 6.1 देखें)

31 मार्च 2012 को वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी), वास्तविक सीओडी, विलम्ब तथा वित्तीय प्रगति को दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं.	योजना का नाम	निर्धारित सीओडी	यथार्थ/पूर्वानुमानित सीओडी	देरी (महीनों में)	वित्तीय प्रगति
1.	एनएचपीसी का तिस्ता-V	फरवरी 2007	अप्रैल 2008	14	पूर्ण
2.	एनएचपीसी का सेवा - II	सितम्बर 2007	जुलाई 2010	34	पूर्ण
3.	टीएचडीसी का कोटेश्वर	अप्रैल 2005	अप्रैल 2012	84	पूर्ण
4.	एनएचपीसी का पारवती - II	सितम्बर 2009	दिसम्बर 2017	99	90.21 %
5.	एनएचपीसी का पारवती - III	नवम्बर 2010	जनवरी 2013	26	76.22%
6.	एनएचपीसी का चमेरा - III	सितम्बर 2010	जून 2012	21	127.65%
7.	एनएचपीसी का सुबांसिरी लोवर	सितम्बर 2010	दिसम्बर 2016	75	89.15%
8.	एनएचपीसी का उरी-II	नवम्बर 2009	फरवरी 2013	39	98.07%
9.	एनएचपीसी का टीएलडी-III	मार्च 2007	दिसम्बर 2012	69	189.18%
10.	एनएचपीसी का टीएलडी-IV	सितम्बर 2009	अगस्त 2013	47	103.91%
11.	एनएचपीसी का निम्मो बजगो	अगस्त 2010	जनवरी 2013	29	118.35%
12.	एनएचपीसी का चुटक	फरवरी 2011	अक्तूबर 2012	20	117.61%
13.	एसजेवीएनएल का रामपुर	जनवरी 2012	सितम्बर 2013	20	87.61%
14.	नीपको का कमेंग	दिसम्बर 2009	मार्च 2017	87	71.62%
15.	नीपको का ट्यूरियल	जुलाई 2006	फरवरी 2016	115	82.30%

अनुबंध - VII
(पैरा 6.1 देखें)

सीपीएसईज के पूर्ण/चल रही परियोजनाओं के अनुमोदित, संशोधित और यथार्थ/पूर्वानुमानित लागत को दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं..	परियोजनाओं के नाम	क्षमता (एमडब्ल्यूज में)	निवेश अनुमोदन की तिथि	अनुमानित लागत (करोड़ ₹ में)	संशोधित लागत ¹ (करोड़ ₹ में)	पूर्ण करने की यथार्थ/पूर्वानुमानित कीमत (करोड़ ₹ में)	परियोजना मूल्य में बढोतरी (करोड़ ₹ में)	अनुमोदित लागत के प्रति यथार्थ/ पूर्वानुमानित कीमत में बढोतरी की प्रतिशतता
क	पूर्ण योजनाएं							
1	टीएचडीसी का कोटेश्वर	400	10.04.2000	1301.56	2466.96	2719.49	1417.93	109%
2	एनएचपीसी का सेवा-II	120	09.09.2003	665.46	1108.83	1108.83	443.37	67%
3	एनएचपीसी का तिस्ता-V	510	11.02.2000	2198.04	2656.95	2656.95	458.91	21%
4	ओमकारेश्वर (एमपी सरकार के साथ एनएचपीसी का जेवी)	520	29.05.2003	2224.73	2497.04	2497.04	272.31	12%
	कुल (क)	1550		6389.79	8729.78	8982.31	2592.52	
ख	चल रही परियोजनाएं							
5	नीपको का टयुरियल	60	07.07.1998	368.72	913.63	913.63	544.91	148%
6	एनएचपीसी का तिस्ता लो डेम-III	132	30-10-2003	768.92	1628.39	1628.39	859.47	112%
7	नीपको का कमंग	600	02-12-2004	2496.90	5139.00	5139.00	2642.10	106%
8	एनएचपीसी का सुबंसिरी लोवर	2000	09.09.2003	6285.33	10667.09	10667.09	4381.76	70%
9	एनएचपीसी का नीमू बजगो	45	24.08.2006	611.01	936.10	936.10	325.09	53%
10	एनएचपीसी का चमेश -III	231	01.09.2005	1405.63	2084.01	2084.01	678.38	48%
11	एनएचपीसी का चुटक	44	24.08.2006	621.26	913.25	913.25	291.99	47%

¹ संबंधित सीपीएसईज द्वारा विद्युत मंत्रालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत परियोजनाओं की संशोधित अनुमान लागत के आधार पर

क्र. सं..	परियोजनाओं के नाम	क्षमता (एमडब्ल्यूज में)	निवेश अनुमोदन की तिथि	अनुमानित लागत (करोड़ ₹ में)	संशोधित लागत ¹ (करोड़ ₹ में)	पूर्ण करने की यथार्थ/पूर्वानुमानित कीमत (करोड़ ₹ में)	परियोजना मूल्य में बढ़ोतरी (करोड़ ₹ में)	अनुमोदित लागत के प्रति यथार्थ/ पूर्वानुमानित कीमत में बढ़ोतरी की प्रतिशतता
12	एनएचपीसी का तिस्ता लो डेम-IV	160	30-09-2005	1061.38	1501.75	1501.75	440.37	41%
13	एनएचपीसी का पारवती-II	800	11.09.2002	3919.59	5353.21	5353.21	1433.62	37%
14	एनएचपीसी का यूरी - II	240	01.09.2005	1724.79	2082.82	2082.82	358.03	21%
15	एनएचपीसी का पार्वती-III	520	09.11.2005	2304.56	2715.92	2715.92	411.36	18%
16	एसजेवीएनएल का रामपुर	412	25.01.2007	2047.03	2047.03	2047.03	0.00	0%
	कुल (ख)	5244		23615.12	35982.20	35982.20	12367.08	
	कुल जोड़ (क+ख)	6794		30004.91	44711.98	44964.51	14959.60	

अनुबंध - VIII
(पैरा संख्या 7.2 देखें)

**निर्धारित समय में जारी परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण
उत्पादन की कमी को दर्शाने वाला विवरण**

क्रम सं.	परियोजना का नाम	यूनिट न.	निवेश अनुमोदन के अनुसार निर्धारित सीओडी	प्रत्याशित/वास्तविक सीओडी	विलंब (दिनों में)	डीपीआर के अनुसार सहकारी खपत के बाद वार्षिक ऊर्जा उत्पादन और ट्रांसफार्मर नुकसान (मिलियन युनिटों में)	डीपीआर के अनुसार प्रत्येक यूनिट का वार्षिक ऊर्जा उत्पादन (मीलियन यूनिट में)	
पूरी हुई परियोजनाएं								
1	एनएचपीसी की तीस्ता/-v (510 मे.वा.)	I से III	11/02/2007	10/04/2008	(वास्तविक)	424	2163.20	2163.20
2	एनएचपीसी की सेवा- II (120 मे.वा.)	I से III	09/09/2007	24/07/2010	(वास्तविक)	1049	534.19	534.19
3	टीएचडीसी की कोटेश्वर (400 मे.वा.)	I	31/10/2004	01/04/2011	(वास्तविक)	2343	1234.00	308.50
		II	31/12/2004	26/10/2011	(वास्तविक)	2490		308.50
		III	28/02/2005	13/02/2012	(वास्तविक)	2541		308.50
		IV	30/04/2005	01/04/2012	(वास्तविक)	2528		308.50
कुल (पूरी हुई परियोजनाएं)-1030 मे.वा.							3931.39	
जारी परियोजनाएं:								
1	एनएचपीसी की पार्वती - II (800 मे.वा.)	I से IV	11/09/2009	15/12/2017	(प्रत्याशित)	3017	3046.26	3046.26
2	एनएचपीसी की पार्वती - III (520 मे.वा.)	I से IV	09/11/2010	15/01/2013	(प्रत्याशित)	798	1952.31	1952.31
3	एचएचपीसी की चमेरा- III (231 मे.वा.)	I	01/09/2010	15/06/2012	(प्रत्याशित)	653	1093.51	364.50
		II	01/09/2010	15/06/2012	(प्रत्याशित)	653		364.50
		III	01/09/2010	15/06/2012	(प्रत्याशित)	653		364.50
4	एनएचपीसी की सुवंसीरी लो अर (2000 मे.वा.)	I से VIII	09/09/2010	15/12/2016	(प्रत्याशित)	2289	7475.78	7475.78

क्रम सं.	परियोजना का नाम	यूनिट न.	निवेश अनुमोदन के अनुसार निर्धारित सीओडी	प्रत्याशित/वास्तविक सीओडी	प्रत्याशित/वास्तविक सीओडी	विलंब (दिनों में)	डीपीआर के अनुसार सहकारी खपत के बाद वार्षिक ऊर्जा उत्पादन और ट्रांसफार्मर नुकसान (मिलियन युनिटों में)	डीपीआर के अनुसार प्रत्येक यूनिट का वार्षिक ऊर्जा उत्पादन (मिलियन यूनिट में)
5	एनएचपीसी का तीस्ता लो बांध - III (132 मे.वा.)	I से IV	15/03/2007	15/12/2012	(प्रत्याशित)	2102	588.49	588.49
6	एनएचपीसी का तीस्ता लो बांध- IV (160 मे.वा.)	I	30/09/2009	15/06/2013	(प्रत्याशित)	1354	712.82	178.21
		II	30/09/2009	15/07/2013	(प्रत्याशित)	1384		178.21
		III	30/09/2009	15/08/2013	(प्रत्याशित)	1415		178.21
		IV	30/09/2009	15/08/2013	(प्रत्याशित)	1415		178.21
7	एनएचपीसी का उरी (240 मे.वा.)	I	30/11/2009	15/01/2013	(प्रत्याशित)	1142	1070.35	267.59
		II	30/11/2009	15/01/2013	(प्रत्याशित)	1142		267.59
		III	30/11/2009	15/02/2013	(प्रत्याशित)	1173		267.59
		IV	30/11/2009	15/02/2013	(प्रत्याशित)	1173		267.59
8	एनएचपीसी का नीमो बाजगो (45 मे.वा.)	I	24/08/2010	15/10/2012	(प्रत्याशित)	783	236.88	78.96
		II	24/08/2010	15/11/2012	(प्रत्याशित)	814		78.96
		III	24/08/2010	15/01/2013	(प्रत्याशित)	875		78.96
9	एनएचपीसी का चुटक (44 मे.वा.)	I	24/02/2011	15/06/2012	(प्रत्याशित)	477	213.82	53.46
		II	24/02/2011	15/06/2012	(प्रत्याशित)	477		53.46
		III	24/02/2011	15/07/2012	(प्रत्याशित)	507		53.46
		IV	24/02/2011	15/10/2012	(प्रत्याशित)	599		53.46
10	एसजेवीएनएल की रामपुर (412 मे.वा.)	I	27/01/2012	15/09/2013	(प्रत्याशित)	597	2057.11	342.85
		II	27/01/2012	15/09/2013	(प्रत्याशित)	597		342.85
		III	27/01/2012	15/09/2013	(प्रत्याशित)	597		342.85
		IV	27/01/2012	15/09/2013	(प्रत्याशित)	597		342.85

क्रम सं.	परियोजना का नाम	यूनिट न.	निवेश अनुमोदन के अनुसार निर्धारित सीओडी	प्रत्याशित/वास्तविक सीओडी	विलंब (दिनों में)	डीपीआर के अनुसार सहकारी खपत के बाद वार्षिक ऊर्जा उत्पादन और ट्रांसफार्मर नुकसान (मिलियन युनिटों में)	डीपीआर के अनुसार प्रत्येक यूनिट का वार्षिक ऊर्जा उत्पादन (मिलियन यूनिट में)
		V	27/01/2012	15/09/2013	(प्रत्याशित)	597	342.85
		VI	27/01/2012	15/09/2013	(प्रत्याशित)	597	342.85
11	नीपको की कमेंग (600 मे.वा.)	I	15/12/2009	31/03/2017	(प्रत्याशित)	2663	898.00
		II	15/12/2009	31/03/2017	(प्रत्याशित)	2663	898.00
		III	31/12/2009	31/03/2017	(प्रत्याशित)	2647	898.00
		IV	31/12/2009	31/03/2017	(प्रत्याशित)	2647	898.00
12	नीपको की ट्यूरियल (60 मे.वा.)	I	15/07/2006	16/02/2016	(प्रत्याशित)	3503	156.11
		II	15/07/2006	16/02/2016	(प्रत्याशित)	3503	156.11
कुल (जारी परियोजनाएं)-5244 मे.वा.							22351.58
कुल (सभी सीपीएसईज़)- 6274 मे.वा. *							26282.97

टिप्पणी : 60 प्रतिशत लोड फैक्टर के आधार पर नीपको की ट्यूरियल परियोजना (60 मे.वा.) के वार्षिक ऊर्जा उत्पादन की गणना की गई और सहकारी खपत तथा डीपीआर के अनुसार 0.5% ट्रांसफार्मर हानि को घटाने के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

प्रत्याशित और वास्तविक सीओडी के लिए किसी महीने की वास्तविक तिथि के पता न होने पर उस महीने की 15 तारीख को मान्य कर लिया जाता है।

सीईआरसी के द्वारा निर्धारित समय में जल परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण इक्विटी पर अतिरिक्त प्रतिफल की हानि को दर्शाता हुआ विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	यूनिट संख्या	सीईआरसी नियमों के अनुसार समय सीमा	निवेश अनुमोदन तिथि (सीसीईए अनुमोदन तिथि)	सीईआरसी के मापदंड के अनुसार निर्धारित सीओडी	प्रत्याशित सीओडी	अतिरिक्त आरओई के लिए योग्य है या नहीं	संपूर्ण/प्रत्याशित संशोधित व्यय (₹ करोड़ में)	एक उत्पादक यूनिट पर व्यय (₹ करोड़ में)	कॉलम 10 के 70% पर ऋण (₹ करोड़ में)	कॉलम 10 के 30% पर इक्विटी (₹ करोड़ में)	इक्विटी पर अतिरिक्त प्रतिफल की दर	इक्विटी पर अतिरिक्त कुल हानि (₹ करोड़ में)**
1	एनएचपीसी की पार्वती III	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1	सीईए की सहमति पर (अर्थात् सीसीईए अनुमोदन की तिथि से 57,58,59, और 60 महीनों में क्रमशः 1,2,3 और 4 यूनिट) की सीओडी	09.11.2005	09/08/2010	15/10/2012 (प्रत्याशित)	हाँ	2715.92	678.98	475.29	203.69	0.50%	35.65
		2			09/09/2010	15/11/2012 (प्रत्याशित)	हाँ		678.98	475.29	203.69	0.50%	35.65
		3			09/10/2010	15/12/2012 (प्रत्याशित)	हाँ		678.98	475.29	203.69	0.50%	35.65
		4			09/11/2010	15/01/2013 (प्रत्याशित)	हाँ		678.98	475.29	203.69	0.50%	35.65
2	एनएचपीसी की चमरा- III	1	सीईए की सहमति पर (अर्थात् सीसीईए अनुमोदन की तिथि से 56,58 और 60 महीनों में सीओडी की क्रमशः 1,2,3 यूनिट) की सीओडी	01.09.2005	01/05/2010	15/06/2012 (प्रत्याशित)	हाँ	2084.01	694.67	486.27	208.40	0.50%	36.47
		2			01/08/2010	15/06/2012 (प्रत्याशित)	हाँ		694.67	486.27	208.40	0.50%	36.47
		3			01/10/2010	15/06/2012 (प्रत्याशित)	हाँ		694.67	486.27	208.40	0.50%	36.47
3	एनएचपीसी की तीस्ता लो बाँध- IV	1	सीईए की सहमति पर (अर्थात् सीसीईए अनुमोदन की तिथि से 45,46,47 और 48 महीनों में सीओडी की क्रमशः 1,2,3 और 4 यूनिट) की सीओडी	30.09.2005	30/06/2009	15/06/2013 (प्रत्याशित)	हाँ	1501.75	375.44	262.81	112.63	0.50%	19.71
		2			30/07/2009	15/07/2013 (प्रत्याशित)	हाँ		375.44	262.81	112.63	0.50%	19.71
		3			30/08/2009	15/08/2013 (प्रत्याशित)	हाँ		375.44	262.81	112.63	0.50%	19.71
		4			30/09/2009	15/08/2013 (प्रत्याशित)	हाँ		375.44	262.81	112.63	0.50%	19.71

क्र.सं.	परियोजना का नाम	यूनिट संख्या	सीआईआरसी नियमों के अनुसार समय सीमा	निवेश अनुमोदन तिथि (सीसीईए अनुमोदन तिथि)	सीआईआरसी के मापदंड के अनुसार निर्धारित सीओडी	प्रत्याशित सीओडी	अतिरिक्त आरओई के लिए योग्य है या नहीं	संपूर्ण/प्रत्याशित संशोधित व्यय (₹ करोड़ में)	एक उत्पादक यूनिट पर व्यय (₹ करोड़ में)	कॉलम 10 के 70% पर ऋण (₹ करोड़ में)	कॉलम 10 के 30% पर इक्विटी (₹ करोड़ में)	इक्विटी पर अतिरिक्त प्रतिफल की दर	इक्विटी पर अतिरिक्त प्रतिफल कुल हानि (₹ करोड़ में)**													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
4	एनएचपीसी की सुबसिरी लो अर	1	सीईए की सहमति पर (अर्थात् सीसीईए अनुमोदन की तिथि से 77,81.82 और 84 महीनों में सीओडी की क्रमशः 1 और 2,3 और 4,5 और 6 तथा 7 और 8 यूनिट) की सीओडी	09.09.2003	09/02/2010	15/12/2016 (प्रत्याशित)	हैं	10667.09	1333.39	933.37	400.02	0.50%	70.00													
		2																								
		3																								
		4																								
		5																								
		6																								
		7																								
		8																								
5	एनएचपीसी की उरी- II	1	सीईए की सहमति पर (अर्थात् सीसीईए अनुमोदन की तिथि से 48,49,50 और 51 महीनों में क्रमशः 1,2,3 और 4 यूनिट)	01.09.2005	01/09/2009	15/01/2013 (प्रत्याशित)	हैं	2082.82	520.705	364.49	156.21	0.50%	27.34													
		2																								
		3																								
		4																								
		6												एनएचपीसी की नीमा बाजगो	1	सीईए की सहमति पर (अर्थात् सरकारी स्वीकृति/अनुमोदन की तिथि से 46,47 और 48 महीनों में क्रमशः 1,2 और 3 यूनिट)	24.08.2006	24/06/2010	15/10/2012 (प्रत्याशित)	हैं	936.10	312.033	218.42	93.61	0.50%	16.38
															2											
															3											
															3											
7	एनएचपीसी की बुटक	1	सीईए की सहमति पर (अर्थात् सरकारी स्वीकृति/अनुमोदन की तिथि से 51,52,53 और	24.08.2006	24/11/2010	15/06/2012 (प्रत्याशित)	हैं	913.25	228.31	159.82	68.49	0.50%	11.99													
		2																								
		3																								

क्र.सं.	परियोजना का नाम	यूनिट संख्या	सीईआरसी नियमों के अनुसार समय सीमा	निवेश अनुमोदन तिथि (सीसीईए अनुमोदन की तिथि)	सीईआरसी के मापदंड के अनुसार निर्धारित सीओडी	प्रत्याशित सीओडी	अतिरिक्त आरओई के लिए योग्य है या नहीं	संपूर्ण/प्रत्याशित संशोधित व्यय (₹ करोड़ में)	एक उत्पादक यूनिट पर व्यय (₹ करोड़ में)	कॉलम 10 के 70% पर ऋण (₹ करोड़ में)	कॉलम 10 के 30% पर इक्विटी (₹ करोड़ में)	इक्विटी पर अतिरिक्त प्रतिफल की दर	इक्विटी पर अतिरिक्त प्रतिफल कुल हानि (₹ करोड़ में)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4	54 महीनों में क्रमशः 1,2,3 और 4 यूनिट		24/02/2011	15/10/2012 (प्रत्याशित)	हाँ		228.31	159.82	68.49	0.50%	11.99
इक्विटी पर अतिरिक्त प्रतिफल की कुल हानि (एनएचपीसी)													
8	एसजेवीएनएल की रामपुर	1	सरकारी स्वीकृति की तिथि से	25.01.2007	25/08/2011	15/09/2013 (प्रत्याशित)	हाँ	2047.03	341.17	238.82	102.35	0.50%	17.91
		2	55,56,57,58,59 और		25/09/2011	15/09/2013 (प्रत्याशित)	हाँ		341.17	238.82	102.35	0.50%	17.91
		3	60 महीनों में क्रमशः 1 से 6 यूनिट के लिए		25/10/2011	15/09/2013 (प्रत्याशित)	हाँ		341.17	238.82	102.35	0.50%	17.91
		4			25/11/2011	15/09/2013 (प्रत्याशित)	हाँ		341.17	238.82	102.35	0.50%	17.91
		5			25/12/2011	15/09/2013 (प्रत्याशित)	हाँ		341.17	238.82	102.35	0.50%	17.91
		6			25/01/2012	15/09/2013 (प्रत्याशित)	हाँ		341.17	238.82	102.35	0.50%	17.91
इक्विटी पर अतिरिक्त प्रतिफल की कुल हानि (एसजेवीएनएल)													
9	नीपको की कमेंग	1	सरकारी स्वीकृत की तिथि से 60 महीने	02.12.2004	02/12/2009	31/03/2017 (प्रत्याशित)	हाँ	5199.00	1284.75	899.33	385.43	0.50%	67.45
		2			02/12/2009	31/03/2017 (प्रत्याशित)	हाँ		1284.75	899.33	385.43	0.50%	67.45
		3			02/12/2009	31/03/2017 (प्रत्याशित)	हाँ		1284.75	899.33	385.43	0.50%	67.45
		4			02/12/2009	31/03/2017 (प्रत्याशित)	हाँ		1284.75	899.33	385.43	0.50%	67.45
इक्विटी पर अतिरिक्त प्रतिफल की कुल हानि (नीपको)													
													269.80
इक्विटी पर अतिरिक्त प्रतिफल की कुल हानि													
													1474.57

** सीईआरसी नियमावली में निर्दिष्ट जल विद्युत प्लॉट की 35 वर्षीय उपयोगी जीवन पर आधारित।